

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या-5/श्रम स्था0 (2)-02/2014 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

विभागीय अधिसूचना संख्या-224 दिनांक-08.02.2016 द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पत्रांक-BHRC/स्था0'15/2013-3467 दिनांक-10.3.2015 के आलोक में श्री चन्द्रशेखर आजाद, विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को मानवाधिकार संरक्षण हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था।

श्री आजाद के अन्यत्र स्थानान्तरण के फलस्वरूप उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या-224 दिनांक-08.02.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शैलेश कुमार, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-5/श्रम स्था0 (2)-02/2014 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई0-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-5/श्रम स्था0 (2)-02/2014 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषांग पदाधिकारी, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-5/श्रम स्था0 (2)-02/2014 श्र0सं0- 26

पटना, दिनांक- 03/06/2016

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (दोनों पक्ष)/उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/श्री शैलेश कुमार, संयुक्त सचिव/अवर सचिव/सभी पदाधिकारी (सरकार पक्ष) प्रशाखा पदाधिकारी सहित/सूचना कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

03/06/2016